बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संoसं0–4/निदे0 अनु0जाति राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)–46–06/2025– 310

प्रेषक,

प्रियंका रानी भा0प्र0से0,

निदेशक

सेवा में,

संबंधित जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक– 25.02.2026

विषय–**वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालयों एवं अनु0 जाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासीत छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में ₹14,99,76,035/–(चौदह करोड़ निन्यानवे लाख छिहत्तर हजार पैंतीस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालयों एवं अनु0 जाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासीत छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में पत्रांक–26 दिनांक–22.04.2025 से ₹1400.00 लाख (चौदह करोड़ रू0), पत्रांक–206 दिनांक–10.10.2025 से ₹1,01,77,616/–(एक करोड़ एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ सोलह रू0) तथा पत्रांक–267 दिनांक–29.12.2025 से ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रू0) मात्र अर्थात् कुल ₹30,01,77,616/–(तीस करोड़ एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ सोलह रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि के आलोक में विभाग से संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालयों एवं अनु0 जाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासीत छात्र/छात्राओं को भोजनादि, पोशाक, चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर–प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल–सामग्री, टी0भी0, पंखा, अग्निशमन यंत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी, आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, रोटी मेकर, डायरी, आई0डी0 कार्ड, कम्प्यूटर आदि का आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु संबंधित जिलों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि ₹14,99,76,035/–(चौदह करोड़ निन्यानवे लाख छिहत्तर हजार पैंतीस रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

3– आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लधु शीर्ष–277 शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तिया–मांग संख्या–44–विपत्र कोड 44–2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए संबंधित उप विकास आयुक्त नियंत्री पदाधिकारी होगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किया जाएगा।

8–राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक–4/निदे0 अनु0जाति राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)–46–06/2025–310 दिनांक–25.02.2026

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0 जाति के आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटित राशि की विवरणी

(442225012770101)

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	जिला	आवंटित राशि
1	2	3
1	अररिया	40,00,000
2	अरवल	3,35,025
3	औरंगाबाद	6,70,050
4	बांका	6,70,050
5	बेगूसराय	6,70,050
6	भागलपुर	46,90,350
7	भोजपुर	40,00,000
8	बक्सर	33,50,250
9	दरभंगा	77,05,575
10	गया	1,15,24,860
11	गोपालगंज	15,00,000
12	जमुई	20,10,150
13	जहानाबाद	40,20,300
14	कैमूर	50,25,375
15	कटिहार	16,75,125
16	किशनगंज	26,80,200
17	मधेपुरा	23,45,175
18	मधुबनी	6,70,050
19	मुंगेर	13,40,100
20	मुजफ्फरपुर	40,00,000
21	नालन्दा	46,90,350
22	नवादा	56,00,000
23	पूर्वी चम्पारण	13,40,100
24	पटना	1,20,60,900
25	पश्चिम चम्पारण	66,00,000
26	पूर्णियाँ	43,55,325
27	रोहतास	50,25,375
28	सहरसा	10,05,075
29	समस्तीपुर	3,00,00,000
30	सारण	20,10,150
31	शेखपुरा	3,35,025
32	सीतामढ़ी	70,35,525
33	सीवान	40,20,300
34	सुपौल	30,15,225
कुल योग		**14,99,76,035**

(चौदह करोड़ निन्यानवे लाख छिहत्तर हजार पैंतीस रू0) मात्र

पत्रांक– 310 दिनांक–25.02.26 का अनुलग्नक

निदेशक